रजि० डी० सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 459] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 7, 1974/कार्तिक 16, 1896
No. 459] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 7, 1974/Kartika 16, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DELIMITATION COMMISSION, INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November 1974

S.O. 635(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972) an Order made by the Delimitation Commission under section 8 of the said Act in respect of the State of Assam is hereby published:—

ORDER NO. 26

In pursuance of section 8 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972) we hereby determine, on the basis of the latest census figures and having regard to the provisions of articles 81, 170, 330 and 332 of the Constitution, the number of seats in the House of the People to be allocated to the State of Assam as fourteen, (14) of which one (1) seat shall be reserved for the Scheduled Castes and two (2) seats for the Scheduled Tribes, of which, one seat shall be reserved for he Scheduled Tribes in the autonomous districts in the State and the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the State as one hundred and twenty six (126), of

which eight (8) seats shall be reserved for the Scheduled Castes and sixteen (16) seats for the Scheduled Tribes, of which five seats shall be reserved for the autonomous districts in the State.

J. L. KAPUR, Chairman.
TARUN KUMAR BASU, Member.
T. SWAMINATHAN, Member.

[No. 282/74(2)]
By order,
P. I. JACOB, Secy.

भारत परिसीमन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1974

का० आ० 635 (अ).—परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में, असम राज्य के बारे में उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश सं० 26

परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 8 के अनुसरण में, हम, नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तथा संविधान के अनुच्छेद 81, 170, 330 और 332 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, असम राज्य को लोक सभा में आबंटित किए जाने वाले स्थानों की संख्या चौदह (14), जिनमें से एक (1) स्थान अनुसूचित जातियों के लिए और दो (2) स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे, जिसमें से एक स्थान उस राज्य में के स्वशासी जिलों में की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगा, और उस राज्य की विधान सभा के लिए समनुदेशित किए जाने वाले स्थानों की कुल संख्या एक सौ छब्बीस (126), जिनमें से आठ (8) स्थान अनुसूचित जातियों के लिए और सोलह (16) स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए जिसमें से पांच स्थान उस राज्य में के स्वशासी जिलों के लिए आरक्षित होंगे, एतद्द्वारा अवधारित करते हैं ।

जे० एल० कपूर, अध्यक्ष ।
तरुण कुमार बसु, सदस्य ।
टि० स्वामीनाथन्, सदस्य ।

[सं० 282/74(2)]
आदेश से,
पी० आई० जेकब, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974